न्यायालय उप जिलाधिकारी तहसील–मधुबन, जनपद–मऊ

वाद संख्या–133/03–02–2022 धारा–143 ज0 वि0 अधि0

मौजा– उमापुर परगना–सदर, मऊ

तारा सिंह

बनाम

सरकार

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक, तारा सिंह पत्नी स्व0 उदय नारायण सिंह मां बिन्दु कालेज आफ फार्मेसी, पता ग्राम व पो0– उमापुर, जनपद–मऊ द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मौजा–उमापुर, में स्थित भूमि गाटा सं0 405, 402, 516ग, 517, 518 कुल रकबा 0.8545 है0 अर्थात् 8545 वर्गमीटर अकृषित भूमि है। धारा–143 के अन्तर्गत इसे अकृषित घोषित किया जाय। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि विद्यालय के प्रयोग में लायी जा रही है। इस लिए तफतील आराजी को आबादी दर्ज करना न्यायोचित होगा। अन्त में निवेदन किया है कि नियम 135 के तहत मसतहत अधिकारियों से आख्या तलब कर तफतील आराजी को आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज करने की कृपा करें।

इस संबंध में दिनांक 02–04–2021 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसील–सदर से जांच आख्या देने हेतु उ0 न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि जारी किया गया। जो राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जांच कर अपनी आख्या पर लेखपाल दिनांक 31–12–2021 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भू–लेख नियमावली की धारा–135(1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी कि गाटा संख्या – 405, 402, 516ग, 517, 518 कुल रकबा 0.8545है0 अथवा 8545 वर्गमीटर भूमि खतौनी पर अंकित है। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त रकबे में मां बिन्दु कालेज ऑफ फार्मेसी स्थित है जिसे आख्या श्रेणी 6(2) कायम किया जा सकता है। इस वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ती नही कि गयी है। मेरे द्वारा वाद व उसके अधिकार के तर्कों को सूना गया तथा पत्रावली पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 14–01–2022 का अवलोकन किया गया। जिसे अकृषित घोषित किया जाना न्यायसंगीत है। भूलेख अधिनियम के धारा 135 (1) के अन्तर्गत [illegible] के सम्बन्ध में विवरण हल्का लेखपाल/राजस्व निरीक्षकव तहसीलदार सदर [illegible] की गयी है।

तारा

प्रबन्धक
[illegible]
मऊ

उपजिलाधिकारी मधुबन
मऊ

(2)

<u>आदेश</u>

अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 17-01-2022 को स्वीकार करते हुए मौजा-उमापुर के गाटा संख्या 405, 402, 516ग, 517, 518 रकबा 0.8545 हे0 अथवा 8545 वर्ग मीटर जो मां बिन्दु कालेज ऑफ फार्मेसी उमापुर जनपद मऊ (उ0प्र0) 275101 के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, को धारा -143 के अन्तर्गत अकृषित किया जाता है तथा उसे रुपया 17.00 के मालगुजारी में से मुक्त किया जाता है। परगना उक्त बरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।।

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांकः-

(जय प्रकाश यादव)

उप जिलाधिकारी, सदर मऊ

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व घोषित।

दिनांकः-

कार्यालय उप जिलाधिकारी

(जय प्रकाश यादव)

उप जिलाधिकारी, सदर मऊ

प्रबन्धक

[illegible]

[illegible]